2024 का विधेयक संख्यांक 112

[दि कैरिज ऑफ गुड्स बाई सी, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2024

समुद्र द्वारा माल वहन की बाबत वाहक से संलग्न उत्तरदायित्व, दायित्व, अधिकार और उन्मुक्तियों के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक

1922 के अक्तूबर में ब्रूसेल्स में हुए अंतरराष्ट्रीय समुद्री विधि सम्मेलन में , सम्मेलन के प्रतिनिधि अपनी-अपनी सरकारों से यह सिफारिश करने के लिए सर्वसम्मति से सहमत हुए थे कि वे वहन-पत्रों से संबंधित कुछ नियमों के एकीकरण के लिए एक प्रारूप-अभिसमय को अभिसमय के आधार के रूप में, अंगीकार कर लें ;

और 1923 के अक्तूबर में ब्रूसेल्स में हुई एक बैठक में उक्त प्रारूप अभिसमय में अंतरर्विष्ट नियम, उक्त सम्मेलन द्वारा नियुक्त समिति द्वारा संशोधित किए गए थे ;

और उक्त नियम 23 फरवरी, 1968 को ब्रूसेल्स में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल द्वारा और 21 दिसंबर, 1979 को ब्रूसेल्स में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित किए गए थे,

और यह समीचीन है कि वहन-पत्रों के अधीन वाहकों के उत्तरदायित्वों , दायित्वों, अधिकारों और उन्मुक्तियों को निश्चित करने की दृष्टि से ऐसे यथा-संशोधित , और उपांतरणों सहित अनुसूची में यथा उपवर्णित, उक्त नियमों को, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विधि का बल प्राप्त होना चाहिए ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम , 2024 है ।

(2) ये ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "लागू नियम" से इस अधिनियम की अनुसूची के खंड अभिप्रेत हैं;

(ख) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का उसके व्याकरणिक रूपभेद और सजातीय पदों के अनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ग) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

अनुसूची का लागू होना ।

3. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह कि अनुसूची में अधिकथित नियम भारत में किसी पत्तन से भारत में या उसके बाहर किसी अन्य पत्तन को माल का वहन करने वाले पोतों में समुद्र द्वारा माल वहन के संबंध में और उसके बारे में प्रभावी होंगे ।

जिन संविदाओं को लागू नियम लागू होते हैं उनमें स्पष्ट परिवचन का विवक्षित न होना ।

4. समुद्र द्वारा माल वहन के लिए किसी संविदा में जिसको लागू नियम लागू होते हैं माल के वाहक द्वारा यात्रा-योग्य पोत उपलब्ध कराने का कोई स्पष्ट परिवचन विवक्षित नहीं होगा ।

नियमों के लागू होने के बारे में कथन का वचन पत्र में सम्मिलित किया जाना ।

5. भारत में जारी किए गए प्रत्येक वहन-पत्र में , या वैसी ही एक की दस्तावेज में , जिसमें कोई ऐसी संविदा अंतर्विष्ट है या जो किसी ऐसी संविदा की साक्ष्य है जिसको नियम लागू होते हैं, इस बात का स्पष्ट कथन होगा कि वह इस अनुसूची में अधिकथित लागू उक्त नियमों के उपबंधों के अधीन प्रभावी होनी है ।

पाल पोतों में और विनिर्दिष्ट मार्गों से वहन किए जाने वाले माल के संबंध में नियम के अनुच्छेद 6 का परिवर्तन ।

6. नियमों का अनुच्छेद 6—

(क) भारत में किसी पत्तन से, भारत में या उसके बाहर किसी अन्य पत्तन को माल का वहन करने वाले पाल पोतों में समुद्र द्वारा माल वहन के संबंध में ;

(ख) भारत में किसी ऐसे पत्तन से, जो इस निमित्त अधिसूचित किया गया है, श्रीलंका में ऐसे पत्तन को , जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है , माल का वहन करने वाले पोतों में समुद्र द्वारा माल वहन के संबंध में,

इस प्रकार प्रभावी होगा , मानों उक्त अनुच्छेद में विशेष माल की बजाय किसी वर्ग के

माल के प्रति निर्देश हो और मानों उक्त अनुच्छेद के दूसरे पैरा के परंतुक का लोप कर दिया गया हो ।

खुला स्थोरा के संबंध में अनुच्छेद 3 के नियम 4 और नियम 5 का उपांतरण ।

7. जब किसी व्यापार की प्रथा के अनुसार,—

(क) वहन-पत्र में अंतर्लिखित किसी खुला स्थोरे का भार ऐसा भार है जो वाहक या माल भेजने वाले से भिन्न किसी तृतीय पक्षकार द्वारा अभिनिश्चित या स्वीकृत किया गया है; और

(ख) यह बात कि वह भार इस प्रकार अभिनिश्चित या स्वीकृत किया गया है वहन-पत्र में कथित है,

तब नियमों में किसी बात के होते हुए भी वहन-पत्र को वाहक के विरुद्ध उस भार के , जो वहन-पत्र में ऐसे अंतवर्लित है , माल की प्राप्ति का प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं समझा जाएगा, और लदाई के समय उसका सही होना माल भेजने वाले द्वारा प्रत्याभूत किया गया नहीं समझा जाएगा ।

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

8. केन्द्रीय सरकार, ऐसे निदेश दे सकेगी , जो वह इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, आवश्यक समझे ।

केन्द्रीय सरकार की अनुसूची के संशोधन की शक्ति ।

9. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची का संशोधन कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी संशोधन का ऐसे प्रभाव होगा मानों वह इस अधिनियम में अधिनियमित था और अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा , जब तक कि अधिसूचना में अन्यथा निदेश न हो ।

अधिसूचना का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

10. इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना , जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी । किंतु अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

11. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार , राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा , ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

12. (1) भारतीय समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम , 1925 निरसित किया जाता है । 1925 का 26

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसित होते हुए भी यह निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा,—

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम का पूर्व प्रचालन या इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित या होने दी गई कार्रवाई ; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित , उद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ग) किसी नियम , अधिसूचना, आदेश, सूचना या जारी किए गए निदेश या उसके अधीन प्रदान की गई छूट , जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है , का प्रचालन और तब तक प्रर्वतनीय होंगे जब तक कि इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन निरसन या अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है; या

(घ) किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व उपरोक्त के अनुसार शास्ति की बाबत कोई कार्यवाही या उपचार और कोई ऐसी अन्य कार्रवाहियां या उपचार संस्थित किए जा सकेंगे, जारी रखे जा सकेंगे या प्रवृत्त किए जा सकेंगे और ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी मानों कि वह अधिनियम निरसित नहीं किया गया था ; या

(ङ) किसी अन्य विधान , नियम, आदेश या किसी अन्य विधिक लिखत के अधीन निरसित अधिनियम को किया गया निर्देश और कोई ऐसा निर्देश जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है , का इस अधिनियम या उसके तत्स्थानी उपबंधों के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

(3) इस अधिनियम की कोई बात , वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 की धारा 331 और उसके भाग 5क के उपबंधों के प्रचालन पर या समुद्री जल यान के स्वामी के दायित्व को सीमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के प्रचालन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी । 1958 का 44

(4) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबंध निरसन के प्रभाव की बाबत लागू होंगे । 1897 का 10

अनुसूची

(धारा 3, धारा 5 और धारा 9 देखें)

वहन-पत्रों के संबंध में लागू नियम

अनुच्छेद 1 : परिभाषाएं — इन नियमों में निम्नलिखित पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमश: इसमें दिए गए हैं, अर्थात् :—

(क) "माल वहन" के अंतर्गत उस समय से, जब माल पोत पर लादा जाता है, उस समय तक की, जब तक उससे उतारा जाता है, अवधि आती है ;

(ख) "वाहक" के अंतर्गत कोई स्वामी या भाड़े पर लेने वाला व्यक्ति है जो माल भेजने वाले के साथ वहन की संविदा करता है ;

(ग) "वहन की संविदा" किसी वहन-पत्र या वैसी ही हक की दस्तावेज के अंतर्गत आने वाले वहन की संविदाओं को एक लागू होती है जहां तक ऐसे दस्तावेज समुद्र द्वारा माल वहन से संबंधित है और किसी पोत भाटक पत्र के अधीन या उसके अनुसरण में जारी किया गया कोई वहन-पत्र या पूर्वोक्त प्रकार की कोई वैसी ही दस्तावेज उस समय में इसके अंतर्गत आती है जब से ऐसा वहन-पत्र या वैसी ही हक की दस्तावेज उसके वाहक और धारक के बीच संबंधों को विनियमित करती है ;

(घ) "माल" के अंतर्गत ऐसी कोई संपत्ति है जिसमें जीवित तथा आधान , पट्टीकाएं या परिवहन अथवा पैक करने की वैसी ही वस्तुएं सम्मिलित हैं , जो पारेषक द्वारा इस बात पर ध्यान दिए बिना प्रदाय की गई हैं कि ऐसी संपत्ति डैक पर है या उसमें ले जाई जानी हैं या ले जाई जाती हैं ; और

(ङ) "पोत" से समुद्र द्वारा माल वहन के लिए कोई जलयान अभिप्रेत है ।

अनुच्छेद 2 : जोखिम—अनुच्छेद 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए समुद्र द्वारा माल वहन की प्रत्येक संविदा के अधीन वाहक , ऐसे माल की लदाई , उठाई-धराई, भराई, वहन, अभिरक्षा, देख-रेख और उतराई के संबंध में उन उत्तरदायित्वों और दायित्वों के अधीन होगा तथा उन अधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार होगा , जो इसमें इसके पश्चात् उपवर्णित हैं ।

अनुच्छेद 3 : उत्तरदायित्व और दायित्व —(1) वाहक, समुद्र यात्रा के पूर्व और प्रारंभ पर, निम्नलिखित बातों के लिए सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के लिए आबद्ध होगा—

(क) पोत को यात्रा योग्य बनाना;

(ख) पोत में काम करने वालों , साज-सामान और संभरण की उचित व्यवस्था करना;

(ग) पेटों, प्रशीतक और ठंडे कक्षों को तथा पोत के अन्य भागों को, जिनमें माल ले जाया जाता है , माल ग्रहण, वहन और परिरक्षण के उपयुक्त और निरापद बनाना ।

(2) अनुच्छेद 4 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए , वाहक ले जाए जाने वाले माल की लदाई, उठाई-धराई, भराई, वहन, संरक्षण, देख-रेख और उतराई उचित रूप से और सावधानी के साथ करेगा ।

(3) माल को अपने भाराधीन प्राप्त करने पर वाहक अथवा मास्टर या वाहक अभिकर्ता, माल भेजने वाले की मांग पर , एक वहन-पत्र माल भेजने वाले को देगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें होंगी—

(क) माल की पहचान के लिए आवश्याक मुख्या चिह्न जैसे कि वे माल की लदाई आरम्भय होने से पूर्व माल भेजने वाले द्वारा लिखित रूप में दिए जाते हैं, परन्तुर ऐसे चिह्न माल के खुले होने की दशा में माल पर अथवा उन पेटियों या आवेष्टरकों में जिनमें ऐसा माल है , ऐसी रीति से स्टाम्पिलत या अन्य था स्पः रूप से दर्शित होने चाहिएं जिससे कि वे समुद्र-यात्रा की समाप्तिस तक सामान्यि रूप से पढ़े जाने योग्यि रहें;

(ख) या तो पैकजों अथवा मदों की संख्या् या , यथास्थिाति, परिमाण या भार, जैसा कि माल भेजने वाले द्वारा लिखित रूप में दिया गया है ;

(ग) माल की दृष्यभमान अवस्थाि और दशा :

परन्तु कोई भी वाहक मास्टथर या वाहक का अभिकर्ता वहन-पत्र में किन्हीं ऐसे चिह्न, संख्याव परिमाण, या भार को कथित करने या दर्शित करने के लिए आबद्ध नहीं होगा जिनके बारे में उसके पास यह संदेह करने का उचित आधार है कि वे वास्तहव में प्राप्तस माल को सही रूप में प्रतिदर्शित नहीं करते हैं या जिनकी जांच पड़ताल करने का उसके पास कोई समुचित साधन नहीं है ।

(4) ऐसा वहन-पत्र, वाहक द्वारा माल की, जैसा कि वह इस अनुच्छेद के पैरा 3 के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अनुसार उसमें वर्णित है, प्राप्ति का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्यक होगा । तथापि, तत्प्रहतिकूल सबूत तब ग्राह्य नहीं होगा , जब वहन-पत्र सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए किसी तृतीय पक्षकार को अन्तसरित कर दिया गया है ।

(5) माल भेजने वाले के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने चिह्नों , संख्याव परिमाण और भार की , जैसा कि वे उसके द्वारा दिए गए हैं , लदान समय पर सही होने की वाहक को प्रत्यानभूति दी है और माल भेजने वाला ऐसी विशिष्टिंयों में गलतियों से पैदा होने या परिणामित होने वाली किसी भी हानि, नुकसान और व्य य के लिए वाहक की क्षतिपूर्ति करेगा । ऐसी क्षतिपूर्ति के बारे में वाहक का अधिकार माल भेजने वाले से भिन्नर किसी व्यषक्ति के प्रति , वहन की संविदा के अधीन उसके उत्तरदायित्वे और दायित्वस को किसी भी प्रकार सीमित नहीं करेगा ।

(6) (क) यदि हानि या नुकसान की और ऐसी हानि या नुकसान के सामान्य स्वतरूप की लिखित सूचना वाहक को या उसके अभिकर्ता को उतराई के पत्तन पर , वहन की संविदा के अधीन माल के परिदान के हकदार व्यअक्तित की अभिरक्षा में माल हटाए जाने से पूर्व या हटाए जाने के समय अथवा यदि हानि या नुकसान दृश्यभमान नहीं है तो तीन दिन के अन्दयर, नहीं दी जाती है तो ऐसा हटाया जाना वहन-पत्र में यथावर्णित माल के वाहक द्वारा परिदान का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्यस होगा ।

(ख) लिखित रूप में सूचना देना उस दशा में आवश्यषक नहीं होगा जब माल की

हालत का उसकी प्राप्ति के समय संयुक्त सर्वेक्षण या निरीक्षण किया गया है ।

(ग) किसी भी दशा में वाहक और पोत का हानि या नुकसान के संबंध में समस्तक दायित्वभ से उन्मोरचन हो जाएगा जब तक कि माल के परिदान के, या उस तारीख के, जिसको माल का परिदान किया जाना चाहिए था , पश्चाकत् एक वर्ष के अन्दखर वाद नहीं लाया जाता है । तथापि इस अवधि को बढ़ाया जा सकेगा यदि पक्षकार वाद हेतुक के उद्भूत होने के पश्चात् इस प्रकार सहमत हो जाएं :

परन्तुर यह कि कोई वाद इस उपपैरा में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, न्यारयालय द्वारा अनुज्ञात तीन मास से अनधिक अतिरिक्त अवधि के भीतर लाया जा सकेगा ।

(घ) किसी वास्ताविक या आशंकित हानि या नुकसान की दशा में वाहक और प्रापक माल का निरीक्षण करने और मिलान करने के लिए एक दूसरे को सभी उचित सुविधाएं देंगे ।

(7) माल के लादे जाने के पश्चात् वाहक मास्ट र या वाहक के अभिकर्ता द्वारा माल भेजने वाले को दिया जाने वाला वहन-पत्र , माल भेजने वाले द्वारा ऐसी मांग किए जाने पर, "पोत-भरित" वहन-पत्र होगा । परन्तुि यदि माल भेजने वाले ने ऐसे माल के लिए कोई हक की दस्ताेवेज पहले ली है तो वह उसे "पोत-भरित" वहन-पत्र दिए जाने के बदले में अभ्यार्पित कर देगा, किन्तुज वाहक के विकल्प् पर ऐसी हक की दस्तावेज पर वाहक मास्ट र या अभिकर्ता द्वारा लदान पत्तन पर उस पोत के नाम या उन पोतों के नाम, जिसमें या जिनमें माल लादा गया है तथा लदान की तारीख या तारीखें लिख ली जा सकेंगी और ऐसे लिख लिए जाने पर वह इस अनुच्छेतद के प्रयोजन के लिए "पोत-भरित" वहन-पत्र समझा जाएगा ।

(8) वहन की संविदा का जो कोई खंड , प्रसंविदा या करार , इस अनुच्छेनद में उपबंधित कर्तव्योंह और बाध्यकताओं में उपेक्षा गलती या असफलता से माल को या उसके संबंध में , होने वाली हानि या नुकसान के दायित्वद से वाहक या पोत को अवमुक्तब करता है अथवा ऐसे दायित्व को, इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसे अन्यकथा कम करता ,हैवह अकृत और शून्यि तथा प्रभावहीन होगा ।

(9) बीमा-प्रसुविधा या वैसा ही कोई खंड वाहक को दायित्वा से अवमुक्तै करने वाला खण्ड समझा जाएगा ।

अनुच्छेद 4 : अधिकार और उन्मुसक्तिंयां– (1) यात्रा-योग्यल न होने से पैदा होने या परिणामित होने वाली किसी हानि या नुकसान के दायित्वाधीन न तो कोई वाहक और न पोत ही होगा जब तक कि उसका कारण वाहक की ओर से , अनुच्छेीद 3 पैरा 1 के उपबन्धों के अनुसार पोत को यात्रा-योग्य् बनाने में और यह सुनिश्चि त करने में कि पोत में काम करने वालों , साज-समान और संभरण की उचित व्यरवस्था है और पेटे, प्रशीतक तथा ठंडे कक्षों को , और पोत के सब अन्य भागों को, जिनमें माल ले जाया जाता है । माल के ग्रहण , वहन और परिरक्षण के लिए उपयुक्तच और निरापद बनाने में सम्य।क् तत्पकरता का अभाव न होजब कभी यात्रा-योग्यन न होने के परिणामस्वटरू हानि या नुकसान होता है , तब यह सिद्ध करने का भार कि सम्य क् तत्परता का प्रयोग किया गया था वाहक या अन्यो व्यिक्ते पर होगा जो इस धारा के अधीन छूट

का दावा करता है ।

(2) न तो वाहक न पोत ही उस हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा जो निम्नवलिखित से पैदा हो या परिणामित हो :-

(क) पोत के संचालन या प्रबंध में मास्टेर , जहाजी , पाइलट या वाहक सेवाओं का कोई कार्य, उपेक्षा या व्येतिक्रम ;

(ख) अग्नि, जब तक कि वह वाहक की वास्त विक गलती या मौनानुकूलता से नहीं हुई है ;

(ग) समुद्र या अन्यय नाव्यव जल के खतरेसंकट और दुर्घटनाएं ;

(घ) देवकृत ;

(ङ) युद्धकृत ;

(च) लोकशत्रु कार्य ;

(छ) राजाओं, शासकों या साधारण जनता की गिरफ्तारी या अवरोध, अथवा अभिग्रहण जो विधिक आदेशिका के अधीन किया जाए ;

(ज) करन्तीिन निर्बन्धान

(झ) माल भेजने वाले या माल के स्वा मी , उसके अभिकर्ता या प्रतिनिधि का कोई कार्य या लोप ;

(ञ) किसी भी कारण से हड़तालें या तालाबंदियों , या श्रमिकों का रोका जाना या अवरोध, चाहे वह आंशिक हो या आम ;

(ट) बलवे और सिविल अशान्ति ;

(ठ) समुद्र में जीवन या सम्पोत्ति को बचाना या बचाने का प्रयत्न;

(ड) माल के अन्तर्निहित नुक्स्क्वाकलिटी या खराबी से उसके परिमाण या भार में कमी, या कोई अन्यस हानि या नुकसान

(ढ) अपर्याप्ता पैकिंग;

(ण) अपर्याप्ता या अनुपयुक्तह चिह्न

(त) अप्रकट खराबियां जो सम्युक् तत्पहरता बरतने में प्रकट नहीं होती हैं

(थ) कोई अन्यर कारण जो वाहक की वास्तपविक गलती या मौनानुकूलता से अथवा वाहक के अभिर्कताओं या सेवकों की गलती या उपेक्षा से न हुआ हो , किंतु यह साबित करने का भार कि वह हानि या नुकसान न तो वाहक की वास्त विक गलती या मौनानुकूलता से और न वाहक के अभिकर्ताओं या सेवकों की गलती या उपेक्षा से ही हुआ है उस व्येक्ति पर होगा जो इस अपवाद के लाभ का दावा करता है ।

(3) माल भेजने वाला , वाहक या पोत को हुई किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो माल भेजने वाले , उसके अभिकर्ता या उसके सेवकों के किसी कार्य, गलती या उपेक्षा के बिना किसी कारण से पैदा हुआ या परिणामित हुआ हो ।

(4) समुद्र में जीवन या सम्प त्ति को बचाने या बचाने के प्रयत्ने में किसी

विचलन अथवा किसी युक्ति युक्तस विचलन को इनलागू नियमों का अथवा वहन की संविदा का अतिलंघन या भंग नहीं समझा जाएगा और उसके परिणामस्वचरूप होने वाली किसी हानि या नुकसान के लिए वाहक दायित्वाणधीन नहीं होगा ।

(5) (क) माल को या उसके संबंध में प्रति पैकेज या यूनिट पर 666.67 विशेष आहरण अधिकारों से अथवा हानिग्रस्तक या नुकसानग्रस्तव माल के सकल भार के प्रति किलोग्राम दो विशेष आहरण अधिकारों से , इनमें से जो भी उच्चातर हो अथवा अन्य6 करेंसी में उस राशि की समतुल्यउ रकम से अधिक की किसी हानि या नुकसान के लिए किसी भी दशा में न तो वाहक और न पोत ही दायित्वारधीन होगा या हो जाएगा, जब तक कि ऐसे माल की प्रकृति और उसका मूल्यद माल भेजने वाले ने , लदान से पूर्व , घोषित न कर दिया हो और वहन-पत्र में अन्त र्लिखित न कर दिया हो । यदि यह घोषणा वहन-पत्र से सम्मिसलित होगी तो वह प्रथमदृष्ट्त या साक्ष्यव, होगी किन्तु वाहक के लिए आबद्धकर या निश्चासयक नहीं होगी ।

(ख) जहां किसी आधान, पट्टिका या परिवहन की वैसी ही वस्तु का प्रयोग माल समेकित करने के लिए किया जाता है वहां वहन-पत्र में प्रगणित पैकेजों या यूनिटों की वह संख्यान जो परिवहन की ऐसी वस्तुे में पैक की गई है, जहां तक का ऐसे पैकेजों या यूनिटों का संबंध है, इस पैरा के प्रयोजनों के लिए पैकेजों या यूनिटों की संख्याज समझी जाएगी ।

(ग) इस पैरा में उपबन्धिपत दायित्वो की सीमा के फायदे का न तो वाहक और न पोत ही हकदार होगा, यदि यह साबित हो जाता है कि नुकसान , वाहक के ऐसे कार्य या लोप के परिणामस्वपरूप हुआ है, जो नुकसान पहुंचाने के आशय से किया गया था जो बिना सोचे-विचारे और ऐसी जानकारी के साथ किया गया था कि उससे नुकसान होना अधिसंभाव्यम है ।

(घ) जहां माल की प्रकृति या मूल्य का माल भेजने वाले द्वारा वहन-पत्र में जानबूझकर मिथ्याम कथन किया गया है वहां वाहक या पोत का दायित्व इस प्रकार कथित मूल्यि से अधिक नहीं होगा।

(ङ) इस पैरा में उल्लिगखित रकम से भिन्न अधिकतम रकम वाहक, मास्टमर या वाहक के अभिकर्ता और माल भेजने वाले के बीच करार से नियत की जा सकती है , परन्तुू ऐसी अधिकतम रकम ऊपर दी गई रकम से कम नहीं होगी ।

(च) माल को या उसके संबंध में होने वाले किसी हानि या नुकसान के लिए किसी भी दशा में न तो वाहक और न पोत ही उत्तरदायी होगा यदि उसकी प्रकृति या मूल्यभ का माल भेजने वाले द्वारा वहन-पत्र में जानबूझकर मिथ्याभ कथन किया गया है ।

(6) (क) ज्वालनशील, विस्फोनटक या खतरनाक प्रकार का माल जिसके लदान के लिए, उसके प्रकृति और लक्षण को जानते हुए , वाहक, मास्टतर या वाहक के अभिकर्ता ने सम्म ति नहीं दी है, उतराई से पूर्व किसी भी समय वाहक द्वारा प्रतिकर के बिना किसी भी स्थान पर उतारा जा सकेगा , या नष्टर किया जा सकेगा या हानि रहित कर दिया जा सकेगा और ऐसे माल को भेजने वाला ऐसे लदान से प्रत्य्क्ष या अप्रत्यकक्ष रूप से पैदा होने वाले या परिणामित होने वाले सभी प्रकार के नुकसान और व्यरय के

दायित्वा धीन होगा ।

(ख) यदि ऐसी जानकारी और सम्म ति से लादा गया कोई माल पोत या स्थो रा के लिए खतरनाक हो जाता है तो उसे वाहक द्वारा उसी प्रकार से किसी स्था न पर उतारा जा सकेगा या नष्टह किया जा सकेगा या हानि रहित कर दिया जा सकेगा तथा सामान्या औसत के अतिरिक्ता, यदि कोई हो , वाहक का और किसी भी प्रकार का दायित्वा नहीं होगा ।

अनुच्छेद 5 : अधिकारों और उन्मुक्तियों का अभ्यर्पण तथा उत्तरदायित्वों और दायित्वों की वृद्धि—कोई भी वाहक इन अनुच्छेदों में से किन्हीं अंतर्विष्ट लागू नियमों के अधीन अपने सब अधिकारों और उन्मुक्तियों को या उनमें से किसी को पूर्णत: या भागत: अभ्यर्पित करने के लिए अथवा अपने उत्तरदायित्वों और दायित्वों में से किसी को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा , परंतु ऐसा अभ्यर्पण या ऐसी वृद्धि माल भेजने वाले को दिए गए वहन-पत्र में उल्लिखित की जाएगी । इन लागू नियमों के उपबंध पोत भाटक पत्रों को लागू नहीं होंगे, किंतु यदि किसी पोत भाटक पत्र के अधीन किसी पोत के संबंध में वहन-पत्र जारी किए जाते हैं तो वे लागू नियमों के निबंधनों का अनुपालन करेंगे । इन लागू नियमों की कोई बात सामान्य औसत के बारे में किसी भी विधिपूर्ण उपबंध को किसी वहन-पत्र में अंतर्लिखित करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी ।

अनुच्छेसद6 : विशेष शर्तें—पूर्वगामी अनुच्छेीदों के उपबन्धों के होते हुए भी यह है कि कोई वाहक , मास्टमर या वाहक का अभिकर्ता और कोई माल भेजने वाले किसी विशेष माल के संबंध में इस बात के लिए स्व तन्त्रो होगा कि ऐसे माल के लिए वाहक के उत्तरदायित्वब और दायित्वा के बारे में , तथा ऐसे माल के संबंध में वाहक के अधिकारों और उन्मुधक्तियों के बारे मेंअथवा यात्रा-योग्यमता से संबंधित उसकी बाध्युता के बारे में, किन्हींि भी निबन्धतनों के अनुसार कोई करार करे जहां तक कि ऐसा अनुब लोकनीति के, अथवा समुद्र द्वारा ले जाए गए माल की लदाई , उठाई-धराई, भराई, वहन, अभिरक्षा, देख-रेख और उतराई से संबंधित उसके सेवकों या अभिकर्ताओं की देख-रेख या तत्पारता के प्रतिकूल न हो, परन्तुत तब जब कि ऐसे मामले में कोई वहन-पत्र नहीं दिया गया है या नहीं दिया जाएगा , और करार पाए गए निबंधन एक पावती में समाविष्टय किए जाएंगे जो अपरक्राम्यू दस्ता वेज होगी और वैसे चिह्नित की जाएगी । ऐसे किए गए करार का पूरा विधिक प्रभाव होगा :

परन्तुक यह अनुच्छे द व्याोपार के सामान्यह अनुक्रम में किए गए सामान्यं वाणिज्यिक लदानों को लागू नहीं होगा, किन्तु केवल ऐसे अन्यम लदानों को लागू होगा जिनमें ले जाई जाने वाली सम्पोत्ति की प्रकृति या दशा अथवा वे परिस्थि तियां निबंधन और शर्तें जिनके अधीन वहन किया जाना है , ऐसी हैं जिनसे विशेष करार उचित रूप से युक्ति संगत प्रतीत होता है ।

अनुच्छेद 7 : लागू नियमों के लागू होने पर निर्बंधन —इसमें अन्ततर्विष्ट कोई बात किसी वाहक या माल भेजने वाले को उस पोत पर लादने के पूर्व और उससे उतारने के पश्चाात् जिस पर कि माल समुद्र द्वारा ले जाया जाता है , माल को या उसके संबंध में, उसकी अभिरक्षा और देख-रेख और उठाई-धराई से, होने वाली हानि या नुकसान के लिए वाहक या पोत के उत्तरदायित्व और दायित्वऔ के बारे में कोई करार,

अनुबंध, शर्तें, आरक्षण या छूट की व्यऔवस्थाा करने से नहीं रोकेगी ।

अनुच्छेकद8 : दायित्व् का परिसीमन—इन नियमों के उपबंध समुद्रगामी जलयानों के स्वाकमियों के दायित्वत को सीमित करने से संबंधित तत्स मय प्रवृत्त किसी कानून क अधीन वाहक के अधिकारों और उसकी बाध्याताओं को प्रभावी नहीं करेंगे ।

अनुच्छेहद9 : स्वर्ण मूल्य—इस नियमों में उल्लिनखित मुद्रा-यूनिटों को स्वनर्ण मूल माना जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 1925 (उक्त अधिनियम) वहन-पत्र के अधीन वाहकों से संलग्न उत्तरदायित्वों, दायित्वों, अधिकारों और उन्मुक्तियों की स्थापना करने की दृष्टि से समुद्र द्वारा माल वहन की बाबत विधि का संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था । यह अधिनियम सारतः अगस्त, 1924 की वहन-पत्र बिलों से संबंधित विधि के कतिपय नियमों ("हेग रूल्स") के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पर आधारित है, जिसे 23 फरवरी, 1968 और 21 दिसंबर, 1979 ("विस्बे रूल्स") को ब्रूसेल्स में हस्ताक्षरित नवाचार द्वारा संशोधित किया गया था । उक्त अधिनियम की अनुसूची, विस्बे नियमों द्वारा यथा सशोधित हेग नियमों को उपांतरणों के साथ उक्त अधिनियम में "नियम" के रूप में निर्दिष्ट किए जाने का उपबंध करती है ।

2. उक्त अधिनियम जावक स्थोरा, अर्थात् भारतीय पत्तन से किसी अन्य पत्तन, चाहे वह भारत में हो या उसके बाहर, तक माल वहन करने वाले पोतों पर लागू होता है । भारत में जारी किया गया प्रत्येक वहन-पत्र और समान शीर्ष वाला दस्तावेज, जिसमें कोई संविदा जिस पर नियम लागू होते हैं, अंतर्विष्ट है या जो उसका सबूत है, में एक स्पष्ट विवरण अंतर्विष्ट होगा कि यह उक्त अधिनियम द्वारा यथा लागू नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा ।

3. यद्यपि उक्त अधिनियम के सारभूत पहलू स्वतंत्रतापूर्व कानून होते हुए समुद्री व्यापार के लिए सुसंगत बने हुए हैं, यह जरूरी है कि उक्त अधिनियम के सार और भावना को परिवर्तित किए बिना इसमें कुछ नए उपबंधों को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे सरलीकरण और समझने में आसानी को सुकर बनाने के क्रम में आधुनिक विधानों के अनुरूप किया जा सके ।

4. तदनुसार, उक्त अधिनियम को नए विधान से निरसित और पुनः अधिनियमित करने और इस प्रयोजन के लिए संसद् में समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2024 पुरःस्थापित का प्रस्ताव किया जाता है, समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2024 में प्रस्तावित उपांतरणों की मुख्य विशेषताओं में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित है—

(क) "नियम" पद को "लागू नियम" पद से प्रतिस्थापित करना, जो विस्बे नियमों द्वारा यथा संशोधित हेग नियमों का उपांतरणों के साथ उपबंध करता है;

(ख) केंद्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची के संशोधन और प्रत्येक ऐसी अधिसूचना को संसद् के समक्ष रखने का उपबंध करने के लिए सशक्त करना;

(ग) केंद्रीय सरकार को ऐसे निदेश जो इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के उपयुक्त समझे जाएं, जारी करने के लिए सशक्त करना;

(घ) 1 जनवरी, 1926 से पहले समुद्र द्वारा माल वहन के लिए संविदा

को निरसित किए जाने के लिए प्रस्तावित किए गए उक्त अधिनियम के अधीन नियमों के लागू नहीं होने से संबंधित संक्रमणकालीन उपबंध का लोप करना;

(ङ) आवश्यक निरसन और व्यावृत्तियों के लिए उपबंध करना ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली;
6 अगस्त, 2024

सर्बानंद सोणोवाल